

अनुमति की शर्तें ।

- (i) नगर मध्य/पुर्वार्ध के विभाग की स्वीकृति स्वयंसेवक सिद्ध नहीं करती है ।
- (ii) किसी भी प्रकार का विवाद (व्यापिक, प्रशासनिक, आर्थिक) में प्रस्ताव देने की दिशा में निर्णय का कोई सम्बन्ध नहीं होगा तथा न ही निर्णय किसी व्यक्ति के लिए बाधक होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करने ही आवश्यक निर्णय को सुचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

प्रकार - किडनी केवल व्यवसायिक एडप डिजाइन अनुसार

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 854 दिनांक 13/1/2021

श्री **डेमन्ड कुमार सैन** जी **लालानमल सैन**

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

काय 194 (7) (घ) के तहत आवेदन

भवन निर्माण हेतु मांगविन कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये **6646/-** जमा

जमिने रसीद संख्या **7062/8998, 8999**

दिनांक 12/1/2021 को जमा करा दी है ।

दिनांक 21/1/2021

सहायक नगर निर्माण
नगर निगम जोधपुर

दक्षिण

(Handwritten Signature)

9414114023

**व्यवसायिक
एडप डिजाइन
अनुसार**

उक्त संख्या: 3-CS-08 चेपिअनी योजना